In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
STR No.- 419/2012
Raniganj PS Case No.-234/2011
CIS No.-2807/2013
(State Vs. Ramchandra Yadav)

FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। उपस्थितः—शशि भूषण कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया। निर्णय की तिथि — 30.06.2026 सत्र वाद संख्या—419 / 2012 रानीगंज थाना काण्ड संख्या—234 / 2011 सी0आई0एस0 संख्या—2807 / 2013 अन्तर्गत धारा 376, 313 भा0द0वि0 अंकित किया गया।

सूचिका	राज्य (द्वारा xxxx)
प्रतिनिधित्व राज्य के तरफ से	श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1.रामचन्द्र यादव
प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से अधिवक्ता	1. श्री अजीत कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

अपराध की तिथि	जेष्ठ माह 2011 से 14.09.2011
प्राथमिकी की तिथि	20.09.2011
आरोप पत्र की तिथि	31.12.2011
आरोप गठन की तिथि	03.07.2012
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	27.07.2012
निर्णय हेतु तिथि निर्धारण	30.06.2026
निर्णय की तिथि	30.06.2026
सजा की तिथि, यदि कोई हो	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्सर्मपण की तिथि	जमानत की तिथि	आरोप गठित धारा	रिहाई / सजा	सजा दी गयी	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.P.C .

In the Court of District & Addl. Sessions Judge-I Cum Spl Judge, Araria
Name of the P.O.-Sri Shashi Bhushan Kumar
STR No.- 419/2012
Raniganj PS Case No.-234/2011
CIS No.-2807/2013
(State Vs. Ramchandra Yadav)

01.	रामचन्द्र यादव	23.11.2011	21.04.2012	376,313 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–

FORM-C

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूचीः–

A. अभियोजन

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
01.	सदानंद यादव	औपचारिक
02.	कपिलदेव यादव	सूचिका का चाचा
03.	डॉ0 हुस्न आरा	चिकित्सक

B. प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

C. न्यायालय साक्षी यदि कोई होः– लागू नहीं।

रैंक	नाम	साक्षी की प्रकृति
	शून्य	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–

A. अभियोजन

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श–01	औपचारिक प्राथमिकी का इन्डोर्समेंट
02.	प्रदर्श–02	जख्म प्रतिवेदन

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	–

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई होः– लागू नहीं।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	—

D. वस्तु प्रदर्श साक्ष्य— लागू नहीं।

क्र0सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	शून्य	—

निर्णय

1.उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक—03.07.2012 को धारा 376,313 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपों का गठन कर इसकी व्याख्या हिन्दी में पढ़कर सुनाया वो समझाया गया, जिसे अभियुक्त इंकार किये और अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण किये जाने का दावा किये।

2.सूचिका रंजन कुमारी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि उसके गांव के रामचन्द्र यादव का आना—जाना उसके यहां था। उसी क्रम में दोनों के बीच प्रेम हो गया और उसके साथ शारीरिक संबंध करने लगा और बोला कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। यह घ ाटना करीब जेष्ठ माह 2011 से ही शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ संभोग करते रहा, जिससे वह पांच माह की गर्भवती हो गयी। जब वह शादी करने के लिए कहती थी, तो बहाना करते थे। दिनांक 14.09.2011 को रामचन्द्र यादव बहला—फुसलाकर उसे रानीगंज अस्पताल ले आया तथा गर्भपात कराने हेतु दवाई खिला दिया और दवाई खाने से गर्भपात हो गया। रामचन्द्र यादव दिनांक 13.07.2011 को जगत खरसाही में शादी कर लिया है।

3.सूचिका रंजन कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर रानीगंज थाना कांड संख्या— 234/2011 पंजीकृत कर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 313 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दिनांक—31.12.2011 को आरोप पत्र समर्पित किया, तदुपरांत तत्कालीन विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376,313 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया गया।

4.पुलिस कागजात की आपूर्ति के पश्चात् अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर दिनांक—15.03.2012 को विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया द्वारा वाद को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु दौरा सुपुर्द किया गया। जहां से स्थानांतरण के पश्चात् यह अभिलेख इस न्यायालय की संचिका में दिनांक—16.04.2012 को विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है।

5. मैं पाता हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–03.07.2012 को आरोपों का गठन किया गया। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दिनांक–20.04.2026 को अभियुक्त का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तों ने आरोप को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

अवधारण के लिए बिन्दु
(POINT FOR DETERMINATION)

6.अब इस न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप अधीन धारा 376, 313 भा0द0वि0 को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है ?

चर्चा, निर्णय और उसके कारण
(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

7.अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोपों के समर्थन में कुल तीन साक्षी को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित को प्रदर्श चिन्हित कराया गया है।

क्र0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श–01	औपचारिक प्राथमिकी का इन्डोर्समेंट
02.	प्रदर्श–02	जख्म प्रतिवेदन

8.बचाव पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी सफाई साक्षी का साक्ष्य व सबूत न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अब मैं अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण कर देखते हैं कि अभियोजनपक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे कहां तक साबित किया है?

9.वाद विवेचन के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी सं0–01 सदानंद यादव है, इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्य परीक्षण में कंडिका 01 में कहा है कि रानीगंज थाना कांड सं0–234/11 के प्राथमिकी के पृष्ठांकन पर पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह का हस्ताक्षर है, इसे मैं पहचानता हूं, इसे प्रदर्श–01 अंकित किया जाता है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 02 में कहा है कि पु0अ0नि0 अरूण कुमार ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर नहीं बनाया था और न ही मैंने कभी उसके साथ काम किया है। अभियोजन साक्षी सं0–02 कपिलदेव यादव है, जो वाद की सूचिका का चाचा है। इसने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कहा है कि सूचिका मेरी भतीजी है। कंडिका 02 में कहा है कि घटना का करीब छह साल हुआ है। कंडिका 03 में कहा है कि घटना वर्ष 2011 की अगस्त माह की है। कंडिका 04 में कहा

है कि सूचिका के साथ राम चंदर यादव ने बलात्कार किया था। लड़की के घर में ही अभियुक्त ने जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। कंडिका 05 में कहा है कि हल्ला हुआ। हल्ला पर मैं भी घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने ही बताया कि उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया। कंडिका 06 में कहा है कि उसके बाद लड़की को लेकर थाने में गये। वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। यही बात पुलिस को बताये थे जो अभी न्यायालय में बताये है। कंडिका 07 में कहा है कि अभियुक्त रामचन्द्र यादव न्यायालय में उपस्थित है, पहचानते है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के कंडिका 08 में कहा है कि घटना का दिन, तारीख, महीना एवं साल याद नहीं है। कंडिका 09 में कहा है कि 7:00 बजे शाम में हल्ला सुना था। कंडिका 10 में कहा है कि सूचिका मेरी भतीजी है। कंडिका 11 में कहा है कि रामचंदर मेरा कोई नहीं है। कंडिका में कहा है कि अभियुक्त मेरा दियाद है। कंडिका 13 में कहा है कि अभियुक्त मेरा चाचा लगता है। कंडिका 14 में कहा है कि रंजन कुमारी अभियुक्त की पोती लगेगी। कंडिका 15 में कहा है कि हम लोगों के बीच संरचनात्मक ढंग से जमीन का बंटवारा हुआ है। न्यायालय से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। कंडिका 16 में कहा है कि रामचंदर यादव को भी बराबर हिस्सा मिला हुआ है। कंडिका 17 में कहा है कि मुन्नी यादव को एक लड़का धारी यादव है। धारी यादव के तीन बेटे हैं जिनमें एक अभियुक्त राम चंदर है। कंडिका 18 में कहा है कि कुन्नी यादव के दो बेटे बंदू और किसनलाल हैं। कंडिका 19 में कहा है कि मेरे पिताजी का नाम स्व0 मोहन यादव है। कंडिका 20 में कहा है कि हम लोग छह भाई हैं। कंडिका 21 में कहा है कि सूचिका के पिता मेरा सगा भाई है। कंडिका 22 में कहा है कि जमीन के बंटवारे को लेकर हम लोगों में कोई विवाद नहीं है। कंडिका 23 में कहा है कि घटना शाम की है। सुबह पुलिस ने मेरा ब्यान लिया था। कंडिका 24 में कहा है कि मुझे याद नहीं है कि पुलिस मेरे अलावा और किसका किसका ब्यान लिया था। कंडिका 25 में कहा है कि पुलिस मेरे घर पर ब्यान लिया था। कंडिका 26 में कहा है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, उस गाँव में लगभग 50 घर है। कंडिका 27 में कहा है कि जावास्क्रिप्ट के उत्तर में बॉसबाड़ी, दक्षिण में सड़क, पश्चिम में रामचंदर यादव, पूरब में खाली जमीन है। कंडिका 28 में कहा है कि हल्ला होने के बाद जावास्क्रिप्ट पर कितने लोग जमा हुआ था, याद नहीं है। जावास्क्रिप्ट पर किसको किसको देखें, याद नहीं है। कंडिका 29 में कहा है कि हम लोगों के बीच में कम्परमाईज की कोई बात नहीं हुई थी और न ही जमीन की मांग की बात हुई थी। कंडिका 30 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि रामचंदर रिश्ते में मेरा चाचा है और उसकी जमीन को मैं और मेरे भाई रखे हुए हैं। उसी जमीन को बचाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए, अभियुक्त के ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा करवाये है। कंडिका 31 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि गांव में मुखिया, सरपंच से पंचायती कराया गया था जिसमें मैंने कहा था कि हमको पाँच कट्ठा जमीन दो और मामले को खत्म करा देंगे। कंडिका 32 में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई घटना घटी नहीं है और गलत प्राथमिकी दर्ज करवाये है और झूठी गवाही दी गई है। अभियोजन साक्षी सं0–03 डॉ0 हुस्न आरा बेगम है, जो कि चिकित्सक साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कही है कि On 20.09.2011, I was posted at Sadar Hospital, Araria as medical officer. On that date on the requisition of police, I examined patient **Ranjan Kumari**, D/o- Bhola Yadav, R/O- Vill- Kupari, PS- Raniganj, Dist- Araria and found following:-

Height- 4 Feet, Weight- 39 Kg.
Tooth upper – 16, Lower- 14, total 30.
Auxiliary & Pubic hairs present. Breast developed and straia and dark areola, milk dribling from nipple.
Injury :- No marks of fresh injuries found on any part of body including private parts.
Hymen old ruptured.
P/V- Uterus antiverted enlarged OS open presence.
X-ray pelvis- Shows epiphysis of iliac crest is partially fused with iliun. Normally it foetus i.e. 4 to 6 months pregnancy within 10 days.
Ultrascun of lower abdomen done by Sadhna Diagnostic, Purnea Dr. A. K. Mandal, reported Homogenous mild enlarged uterus corpus without any RPOC.
In my opinion- She is about 18 to 19 years old and aborted 2nd trimaster fuses between 17 to 19 years.
M.I. - One Scar mark near left eye.
2. This injury report is in my handwriting and it bears my signature. I identify the writing and signature upon the injury report and LTI of victim, Injury report is marked as Ext.-1.जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के कंडिका 03 में कही है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, मैंने प्रयास करके सब सही–सही लिखवाया है। मैंने किसी भी प्राईवेट पार्ट्स या शरीर के किसी अंग पर ताजा जख्म नहीं पाया है। मैंने पीड़िता की उम्र 18 से 19 वर्ष पाया है। कंडिका 04 में कही है कि पीड़िता का गर्भपात मेरे यहॉ नहीं कराया गया था। पीड़िता के साथ जो भी बलात्कार की घटना हुई होगी, वो 5–6 महीना पहले हुई होगी, इसलिये मैंने बलात्कार के बारे में अपना कोई मंतव्य नहीं दिया है। कंडिका 05 में कही है कि पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड मेरे समक्ष उपलब्ध था और मैंने गर्भाशय का मुॅह खुला हुआ पाया था, साथ ही सामान्य से बड़ा भी था, जिसके आधार पर मैंने कहा था कि पीड़िता का गर्भपात हुआ है। चूॅकि पीड़िता के स्तन से दूध भी निकल रहा था, इसलिये भी मैं कह सकती हूॅ कि पीड़िता का गर्भपात के समय उसके भ्रूण की उम्र कम से कम 4 महीने से अधिक रही होगी। कंडिका 06 में कही है कि मेरे कहने पर पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड व एक्स–रे कराया गया था। कंडिका 07 में कही है कि मेडिकल रिपोर्ट मैंने तैयार किया है और मेरा हस्ताक्षर है, यह रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता को मेरे कार्यालय द्वारा दिया गया था। कंडिका 08 में कही है कि मेडिकल रिपोर्ट के साथ अल्ट्रासाउण्ड व एक्स–रे रिपोर्ट की कार्बन कॉपी कार्यालय में ही रहता है। पुलिस की पहचान से ही मैंने पीड़िता को जाना था। कंडिका 09 में कही है कि ऐसी बात नहीं है कि पीड़िता का कोई एक्स–रे व अल्ट्रासाउण्ड नहीं हुआ जिससे यह बात साबित हो सके कि वह गर्भवती थी। कंडिका 10 में कही है कि ऐसी बात नहीं है कि मैंने सही रिपोर्ट नहीं दिया हूॅ।

10.बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह कहा है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अपने परीक्षण में प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों का बिल्कुल समर्थन नहीं किये है। अतः विचारण के अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किया जाय।

11.अभियोजन पक्ष की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहा है।

12.उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य विश्लेषण करने के उपरांत मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी सं0–01 सदानंद यादव है, इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन किया है कि रानीगंज थाना कांड सं0–234/11 के प्राथमिकी के पृष्ठांकन पर पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष अरूण कुमार सिंह का हस्ताक्षर है, इसे मैं पहचानता हूं, इसे प्रदर्श–01 अंकित किया गया है। जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि पु0अ0नि0 अरूण कुमार ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर नहीं बनाया था और न ही मैंने कभी उसके साथ काम किया है। अभियोजन साक्षी सं0–02 कपिलदेव यादव है, जो वाद की सूचिका का चाचा है, इसने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन किया है कि सूचका मेरी भतीजी है। सूचिका के साथ रामचन्द्र यादव ने बलात्कार किया था। लड़की के घर में ही अभियुक्त ने जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। हल्ला पर मैं भी घटनास्थल पर पहुँचा, तो वहाँ पर पता चला कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने ही बताया कि उसके साथ अभियुक्त ने बलात्कार किया। उसके बाद लड़की को लेकर थाने में गये। वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। यही बात पुलिस को बताये थे, जो अभी न्यायालय में बताये है। अभियुक्त रामचन्द्र यादव न्यायालय में उपस्थित है, पहचानते है। जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि घटना का दिन, तारीख, महीना एवं साल याद नहीं है। 7:00 बजे शाम में हल्ला सुना था। सूचिका मेरी भतीजी है। रामचन्द्र मेरा कोई नहीं है। अभियुक्त मेरा दियाद है। अभियुक्त मेरा चाचा लगता है। रंजन कुमारी अभियुक्त की पोती लगेगी। हम लोगों के बीच संरचनात्मक ढंग से जमीन का बंटवारा हुआ है। न्यायालय से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। रामचंदर यादव को भी बराबर हिस्सा मिला हुआ है। मुन्नी यादव को एक लड़का धारी यादव है। धारी यादव के तीन बेटे हैं जिनमें एक अभियुक्त राम चंदर है। कुन्नी यादव के दो बेटे बंदू और किसनलाल हैं। मेरे पिताजी का नाम स्व0 मोहन यादव है। हम लोग छह भाई हैं। सूचिका के पिता मेरा सगा भाई है। जमीन के बंटवारे को लेकर हम लोगों में कोई विवाद नहीं है। घटना शाम की है। सुबह पुलिस ने मेरा ब्यान लिया था। मुझे याद नहीं है कि पुलिस मेरे अलावा और किसका किसका ब्यान लिया था। पुलिस मेरे घर पर ब्यान लिया था। हम लोग जहाँ रहते हैं, उस गाँव में लगभग 50 घर है। जावास्क्रिप्ट के उत्तर में बॉसबाड़ी, दक्षिण में सड़क, पश्चिम में रामचंदर यादव, पूरब में खाली जमीन है। हल्ला होने के बाद जावास्क्रिप्ट पर कितने लोग जमा हुआ था, याद नहीं है। जावास्क्रिप्ट पर किसको–किसको देखें, याद नहीं है। हम लोगों के बीच में कम्परमाईज की कोई बात नहीं हुई थी और न ही जमीन की मांग की बात हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि रामचंदर रिश्ते में मेरा चाचा है और उसकी जमीन को मैं और मेरे भाई रखे हुए हैं। उसी जमीन को बचाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए, अभियुक्त के ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा करवाये है। ऐसी बात नहीं है कि गांव में मुखिया, सरपंच से पंचायती कराया गया था जिसमें मैंने कहा था कि हमको पाँच कट्ठा जमीन दो और मामले को खत्म करा देंगे। ऐसी बात नहीं है कि कोई घ ाटना घटी नहीं है और गलत प्राथमिकी दर्ज करवाये है और झूठी गवाही दी गई है। अभियोजन

साक्षी सं0–03 डॉ0 हुस्न आरा बेगम है, जो कि चिकित्सक साक्षी है, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना के संबंध में कथन किया है कि On 20.09.2011, I was posted at Sadar Hospital, Araria as medical officer. On that date on the requisition of police, I examined patient **xxxx.** This injury report is in my handwriting and it bears my signature. I identify the writing and signature upon the injury report and LTI of victim, Injury report is marked as Ext.-1.जबकि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कथन किया है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है, मैंने प्रयास करके सब सही–सही लिखवाया है। मैंने किसी भी प्राईवेट पार्ट्स या शरीर के किसी अंग पर ताजा जख्म नहीं पाया है। मैंने पीड़िता की उम्र 18 से 19 वर्ष पाया है। पीड़िता का गर्भपात मेरे यहॉ नहीं कराया गया था। पीड़िता के साथ जो भी बलात्कार की घटना हुई होगी, वो 5–6 महीना पहले हुई होगी, इसलिये मैंने बलात्कार के बारे में अपना कोई मंतव्य नहीं दिया है। पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड मेरे समक्ष उपलब्ध था और मैंने गर्भाशय का मुॅह खुला हुआ पाया था, साथ ही सामान्य से बड़ा भी था, जिसके आधार पर मैंने कहा था कि पीड़िता का गर्भपात हुआ है। चूॅकि पीड़िता के स्तन से दूध भी निकल रहा था, इसलिये भी मैं कह सकती हूॅ कि पीड़िता का गर्भपात के समय उसके भ्रूण की उम्र कम से कम 4 महीने से अधिक रही होगी। मेरे कहने पर पीड़िता का अल्ट्रासाउण्ड व एक्स–रे कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट मैंने तैयार किया है और मेरा हस्ताक्षर है, यह रिपोर्ट अनुसंधानकर्ता को मेरे कार्यालय द्वारा दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के साथ अल्टरासाउण्ड व एक्स–रे रिपोर्ट की कार्बन कॉपी कार्यालय में ही रहता है। पुलिस की पहचान से ही मैंने पीड़िता को जाना था। ऐसी बात नहीं है कि पीड़िता का कोई एक्स–रे व अल्ट्रासाउण्ड नहीं हुआ, जिससे यह बात साबित हो सके कि वह गर्भवती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सही रिपोर्ट नहीं दिया है। अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कराये गये तीनों साक्षियों ने अपने–अपने साक्ष्य में कथित घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किये है। इन साक्षियों के साक्ष्य से प्राथमिकी का पूर्ण सम्पोषण नहीं होता है तथा इनके मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में घोर विरोधाभाष है। प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वाद की सूचिका, अनुसंधानकर्ता व अन्य तात्विक साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। जबकि उनकी उपस्थिति हेतु सभी प्रकार की आदेशिकाएं जारी की गयी है। परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता तथा अन्य तात्विक साक्षियों का साक्ष्य नहीं कराया गया है, जिससे तथाकथित घटना एवं घटनास्थल साबित नहीं हो पाया है, जो अभियोजन के विरूद्ध है। इस प्रकार से अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर पूरी घ ाटना संदेहास्पद हो जाती है। मैं पाता हूँ कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित धाराएं युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित नहीं होती है। फलस्वरूप अभियुक्त रिहाई पाने के अधिकारी हैं।

13.उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त रामचन्द्र यादव के विरूद्ध गठित आरोपों में वर्णित धारा 376, 313 भा0द0वि0 को गुण–दोषों के आधार पर दोषी न पाते हुए दोष–मुक्त किया जाता है तथा कार्यालय काराधीन अभियुक्त की मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें।

14.निर्णय की एक प्रति विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, अररिया को अधीन धारा 365 दं.प्र.सं. में वर्णित प्रावधान के आलोक में अविलम्ब भेजा जाय।

15.निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–30.06.2026

लेखापित

ह0/–

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह–विशेष न्यायाधीश,
अररिया।
दिनांक–30.06.2026